प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/NRC / 18–4 / 2020–21 / 6071 **दिनांक** 05/ **01 / 2021**

विषय–सैम / मैम एवं अति कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का प्रथम बुधवार पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र में वी0एच0एस0एन0डी0 पर स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन सम्बंधित दिशा निर्देश।

महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि प्रदेश मे कुपोषण एक गंभीर समस्या है। प्रदेश में लगभग एक–तिहाई पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे कुपोषण का शिकार है। कुपोषण की गंभीर चिकित्सीय अवस्था–सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रीशन अथवा सैम (Severe Acute Malnutrition-SAM) से ग्रसित होने के कारण बच्चों मे बाल्यावस्था की बीमारियां एवं उनसे होने वाली मृत्यु का खतरा कई गुना अधिक बढ़ जाता है। सैम / मैम एवं अति कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच एवं प्रबंधन के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या– एस0पी0 एम0यू0 / CH / NRC / 18–4 / 2020–21 / 3307–75, दिनांक 21.09.2020 एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–प0क0 / आर0सी0एच0 / सैम–मैम / 2020–21 / 3763–93 दिनांक 21.12.2020 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देशों जारी किये जा चुके हैं। उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में मेडिकल आफीसर, ए0एन0एम0 एवं सी0एच0ओ0 का प्रशिक्षण पूर्ण करते हुए सैम / मैम एवं अतिकुपोषित बच्चों की जांच एवं प्रबंधन स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ वैलनेस सेंटर एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों (वी0एच0एस0एन0डी0) के माध्यम से जनपद में शुरू कर दिया गया है।

उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में **Moderate Acute Malnutrition (MAM) and Severe Acute Malnutrition (SAM)** / अति कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन को ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस के माध्यम से सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

1. प्रथम बुधवार को किये जाने वाले कार्य –

- जनवरी 2021 से **प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को स्वास्थ्य उप केन्द्र में वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र** के दौरान सैम / मैम / अतिकुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बंधित विशेष सेवायें पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।
- इन सत्रों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग एवं ICDS विभाग के समन्वय के साथ किया जाएगा।
- इस दिवस पर उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाली सभी आशायें एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री प्रतिभाग करेंगी जिससे कि उपकेन्द्र पर ही गुण्वत्ता परक सेवायें दी जा सकें।
- सत्र में सैम / मैम जांच करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले बच्चों की वज़न मशीन, इन्फैंटोमीटर (2 वर्ष से कम बच्चों की लम्बाई नापने के लिये) एवं स्टेडिओमीटर (2 वर्ष से बड़े बच्चों की उचाई नापने के लिये) का प्रबंधन उपकेन्द्र से सम्बंधित आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा किया जायेगा। यदि किसी दशा में इन्फैंटोमीटर एवं स्टेडियो मीटर उपलब्ध नहीं हैं तो उस दशा में दो इन्चटेप का भी प्रयोग किया जा सकता है परन्तु यह पूर्ण सही तरीका नहीं होगा।
- वर्ष 2021 के सत्रों का वार्षिक कैलेंडर के अनुसार प्रथम 12 माह के **प्रथम बुधवार की तिथियां निम्नवत्** हैं –

माह	दिनांक	माह	दिनांक
जनवरी	06.01.2021	जुलाई	07.07.2021
फरवरी	03.02.2021	अगस्त	04.08.2021
मार्च	03.03.2021	सितम्बर	01.09.2021
अप्रैल	07.04.2021	अक्टूबर	06.10.2021
मई	05.05.2021	नवंबर	03.11.2021
जून	02.06.2021	दिसंबर	01.12.2021

इन मासिक सत्रों के दौरान उपकेन्द्र पर निम्न पटल की स्थापना की जायेगी–

1. **पोषण स्क्रीनिंग एवं परामर्श पटल / कॉउंटर–**
   - यह पटल उपकेन्द्र पर ही उपलब्ध दूसरे कक्ष में अथवा बरामदे में उपकेन्द्र से सम्बंधित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, तथा आशाओं द्वारा संचालित किया जायेगा।
   - इस पटल पर लाभार्थी सर्व प्रथम आयेगा।
   - आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा पूर्व में चिन्हित अतिकुपोषित बच्चों, सैम व मैम बच्चों का पुनः वजन तथा ऊचाई अथवा लम्बाई तथा गर्भवती महिला का वज़न किया जायेगा। सूचना एम0सी0पी कार्ड में अंकित की जायेगी तथा जो भी बच्चे सैम अथवा मैम अथवा गंभीर अल्पवजन की श्रेणी में आते हैं, उनके बारें में ए0एन0एम को तुरन्त सूचना दी जायेगी। लाभार्थी को गृह आधारित खान–पान संबंधी देखभाल के बारे अवश्य से बताया जायेगा।
   - सूचना के साथ लाभार्थी को स्वास्थ्य जांच के लिये ए0एन0एम के पास भेजा जायेगा।
2. **स्वास्थ्य पटल / कॉउंटर–**
   - यह पटल उपकेन्द्र पर ही जहां से ए0एन0एम0 स्वास्थ्य जांच करती हैं वहीं पर होगा।
   - इस पटल पर नियमित स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच एवं प्रबंधन, गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण एवं परिवार नियोजन आदि सेवाएं प्रदान की जायेंगी।
   - स्वास्थ्य जांच के पश्चात ए0एन0एम0 चिकित्सीय व फालोअप संबंधी परामर्श अनिवार्य रूप से देगी।

कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण जांच (पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार– संलग्न) –

- आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा अतिकुपोषित (सीवियर अंडरवेट / सैम / मैम) को ड्यूलिस्ट के अनुसार मोबीलाइज़ करेंगी।
- संदर्भित कुपोषित बच्चों की सैम / मैम की जांच, पोषण जांच एवं परामर्श, पटल, पर आंगनबाड़ी, कार्यकत्री द्वारा किया जायेगा। इन बच्चों का आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा वज़न एवं लम्बाई / ऊंचाई ली जायेगी एवं सैम / मैम तालिका अथवा मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड के दिए गए सैम / मैम चार्ट की मदद से सैम / मैम बच्चे की पहचान करेंगी एवं रजिस्टर अथवा मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड पर अंकित करेंगी।
- चिन्हित सैम बच्चों का सत्यापन ए0एन0एम0 द्वारा भी किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त सभी कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच एवं सैम बच्चों का चिकित्सीय प्रबंधन ए0एन0एम0 द्वारा प्रदान किया जायेगा।
  - **चिकित्सीय जटिलता वाले सैम बच्चों** को चिकित्सीय प्रबंधन के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्र अथवा निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संदर्भित किया जायेगा।
  - **बिना चिकित्सीय जटिलता वाले सैम बच्चों** को निम्न चिकित्सीय प्रोटोकॉल के अनुसार सत्र पर चिकित्सीय प्रबंधन प्रदान किया जायेगा।

बिना चिकित्सीय जटिलता वाले सैम बच्चों के चिकित्सीय प्रबंधन का प्रोटोकॉल				
औषधि का नाम	वजन / उम्र	खुराक		
		प्रत्येक खुराक की मात्रा –	दिन में कितनी बार	कितने दिनों के लिए
Amoxicillin DT(125 mg/tab) or Suspension/ syrup(125 mg/5ml suspension)	4 – 6.9 kg	1 tab or 5 ml Syrup	दिन में दो बार	5 दिनों तक
	7 – 9.9 kg	1.5 tablet or 7.5 ml Syrup	दिन में दो बार	5 दिनों तक
	10 -12.9 kg	2 tablets or 10 ml Syrup	दिन में दो बार	5 दिनों तक
	13 – 15.9 kg	2.5 tablets or 12.5 ml syrup	दिन में दो बार	5 दिनों तक
	16 – 18.9 kg	3 tablets or 15 ml Syrup	दिन में दो बार	5 दिनों तक
Albendazole (400 mg tab)	< 1 year	नहीं देनी		
	12-23 months	200mg (आधी टेबलेट) केवल एक बार		
	>2 years	400mg (एक टेबलेट) केवल एक बार		

बिना चिकित्सीय जटिलता वाले सैम बच्चों के चिकित्सीय प्रबंधन का प्रोटोकॉल		
औषधि का नाम	वजन / उम्र	खुराक
Folic Acid (5 mg tab)	6-59 months	5mg (एक टेबलेट) केवल एक बार
Vitamin-A	6-11 months	1 lac IU (1 ml) केवल एक बार
	1-5 years & weight > 8 kg	2 lac IU (2 ml) केवल एक बार
	1-5 years & weight < 8 kg	1 lac IU (1 ml) केवल एक बार
Iron Folic Acid syrup	6 months to 5 years	1 ml सप्ताह मे दो बार (1 ml contains 20 mg elemental iron and 100 mcg folic acid)
Pediatric multivitamin	As per age	Twice Recommended Dietary Allowance

***नोट–अगर पूर्व एक माह के अन्दर बच्चे को टीकाकरण अथवा बाल स्वास्थ्य पोषण माह के दौरान विटामिन– ए की खुराक दी गयी हो तो पुनः विटामिन–ए की खुराक देने की आवश्यकता नहीं है।**

- **अन्य समस्त कुपोषित बच्चे मुख्यतः –मैम व गंभीर अल्प वजन** को निम्न पोषण सम्बंधित सेवाएं प्रदान कराना सुनिश्चित किया जायेगा–
  - विटामिन– ए की खुराक।
  - कृमिनाशक।
  - एनीमिया की जांच एवं प्रबंधन एनीमिया मुक्त भारत के दिशा निर्देशानुसार।
  - स्तनपान अथवा अनुपूरक आहार सम्बंधित परामर्श।
- किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण वाले कुपोषित बच्चों को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सीय प्रबंधन के लिए संदर्भित किया जायेगा।

- समस्त सैम / मैम बच्चों को पूर्णतः पोषित एवं स्वस्थ्य होने तक **प्रत्येक माह इन सत्रों पर फॉलोअप** के लिए उपकेन्द्र / हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर बुलाया जाएगा तथा इनका वजन व उचाई / लम्बाई लिया जायेगा।
- सत्र पर मौजूद सैम / कुपोषित बच्चों के माता–पिता एवं अभिभावकों को आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा पोषण सम्बंधित परामर्श प्रदान किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त सभी सैम एवं अतिकुपोषित बच्चों के पोषण प्रबंधन के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा मासिक पोषाहार वितरित किया जाएगा।
- कुपोषित बच्चों के परिवार को बताये गये व्यवहार के अनुसरण की जानकारी हेतु आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा कम से कम माह में एक संयुक्त गृह भ्रमण किया जायेगा। यह कार्य तीन माह तक अवश्य किया जायेगा।
- आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से साप्ताहिक फॉलोअप किया जाएगा जिसके दौरान बच्चे की वज़न वृद्धि की जांच एवं खान–पान सम्बंधित व्यव्यहार की जांच एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा।

नोट– अगर किसी कारणवश कोई सैम / अति कुपोषित बच्चा इस उपकेन्द्र आधारित मासिक सत्र पर प्रतिभाग नहीं कर पाता है तो उस बच्चे की जांच / प्रबंधन अथवा फॉलोअप सम्बंधित आंगनबाड़ी केन्द्र के मासिक वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र के दौरान किया जायेगा।

गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच एवं पोषण प्रबंधन –

- समस्त लक्षित गर्भवती महिलाओं को ड्यूलिस्ट के अनुसार आशा द्वारा केन्द्र पर मोबिलाइज किया जायेगा।
- सत्र पर उपलब्ध गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच ए0एन0एम0 द्वारा दिशानिर्देश के अनुसार की जायेगी। गर्भवती महिला मे पोषण स्तर की जांच एवं सुधार करने के लिए ए0एन0एम0 द्वारा सत्र के दौरान निम्न गतिविधियां की जायेंगी –
  - बी0पी0, यूरिन की जॉच, ब्लड शुगर एवं एच0आई0वी0 सिफलिस की जॉच।
  - एब्डोमिनल चेक अप (पेट की जांच)।
  - वज़न एवं मासिक वज़न वृद्धि की मॉनिटरिंग)।
  - हीमोग्लोबिन की जांच एवं एनीमिया का प्रबंधन।

- 180 आयरनफोलिक एसिड टेबलेट का वितरण।
- 360 कैल्शियम टेबलेट का वितरण।
- स्वास्थ्य परामर्श।

नोट–इन सभी सेवाओं को मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड में अंकित किया जाए।

- आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा गर्भवती महिला के वज़न वृद्धि के अनुसार पोषण एवं खानपान सम्बंधित परामर्श दिया जाएगा।

सत्र के दौरान ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री की भूमिका–

ए0एन0एम0 की भूमिका	आशा की भूमिका	आंगनबाड़ी कार्यकत्री की भूमिका
• स्वास्थ्य पटल/कॉउंटर की स्थापना एवं संचालन। • आंगनबाड़ी द्वारा चिन्हित सैम बच्चे का सत्यापन एवं प्रबंधन। • अन्य बीमार एवं कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच एवं आवश्यक प्रबंधन। • गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच एवं आवश्यक प्रबंधन। • टीकाकरण एवं अन्य परिवार नियोजन सम्बंधित सेवायें • सत्र के दौरान प्रबंधन प्राप्त सैम बच्चों की रिपोर्टिंग।	• स्वास्थ्य पटल/कॉउंटर के संचालन व परामर्श में सहयोग करना। • कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं टीकाकरण के लिए लक्षित बच्चों की ड्यूलिस्ट बना सत्र पर मोबिलाइज करना।	• पोषण जांच एवं परामर्श पटल/कॉउंटर का संचालन। • कुपोषित बच्चों को सत्र पर मोबिलाइज करना। • कुपोषित बच्चों का वज़न, लम्बाई/ऊंचाई लेते हुये सैम/ मैम की पहचान करना एवं मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड पर अंकित करना • कुपोषित बच्चों के अभिभावकों की पोषण सम्बंधित परामर्श प्रदान करना।

आई0सी0डी0एस0 विभाग एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री की भूमिका –

- स्वास्थ्य उपकेंद्र से सम्बंधित सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्री अपने कार्यक्षेत्र में चिन्हित कुपोषित एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को सूचीबद्ध कर माह के प्रथम बुधवार को स्वास्थ्य उपकेंद्र आधारित वी0एच0एस0 एन0डी0 सत्र पर प्राथमिक चिकित्सीय जांच एवं प्रबंधन के लिए मोबिलाइज करेंगी।
- सत्र के लिए लक्षित कुपोषित बच्चे जो की स्वास्थ्य उपकेंद्र आधारित वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र पर किसी कारणवश प्रतिभाग नहीं कर पाये हो, उन बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा उनके केंद्र से सम्बंधित मासिक वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र पर मोबिलाइज कर चिकित्सीय प्रबंधन एवं फॉलो अप कराया जायेगा।
- पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का वज़न एवं लम्बाई/ऊंचाई लेते हुये कुपोषित एवं गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की मुख्य भूमिका आंगनबाड़ी कार्यकत्री की रहेगी।
- चिकित्सीय प्रबंधन प्राप्त कर चुके सभी सैम एवं अन्य गंभीर अल्पवजन के बच्चों का पोषण प्रबंधन आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा उनके पूर्णतः पोषित श्रेणी में आने तक किया जाएगा।
- **आंगनबाड़ी कार्यकत्री की भूमिका** - आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा इन सभी बच्चों का साप्ताहिक फॉलो अप आंगनबाड़ी केंद्र अथवा गृह भ्रमण के माध्यम से किया जाएगा। सभी कुपोषित बच्चों के पोषण प्रबंधन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पोषाहार का वितरण, पोषाहार एवं अन्य स्थानीय खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हुये पौष्टिक खाद्य विधियों का प्रदर्शन एवं खान–पान सम्बंधित परामर्श प्रदान किया जाएगा।
- आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां "पोषण स्क्रीनिंग एवं परामर्श काउंटर" की स्थापना एवं संचालन में सहयोग करेंगी।
- "पोषण स्क्रीनिंग एवं परामर्श काउंटर" की सभी गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल्स के अनुसार संचालित की जाएँ।

2. संचारण नीति

- ब्लॉक स्तर पर सभी ए0एन0एम का संवेदीकरण।

- उपकेन्द्र पर सभी ए0एन0एम द्वारा ट्रिपल–ए की बैठक आयोजित करते हुये उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाली आशाओं व आंगनबाडी कार्यकत्रियों को कुपोषित बच्चों व गर्भवती महिलाओं को सत्र तक मोबिलाइज करने हेतु प्रेरित करना।
- इन सत्रों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक माह सत्र के एक दिन पहले व्हाट्सएप एवं अन्य दूर संचार माध्यम से ए0एन0एम0 एवं आशाओं को सूचित किया जाए।

3. क्षमतावर्धन –

- जनपदों द्वारा सैम/मैम के चिकित्सीय प्रबंधन सम्बंधित ए0एन0एम0/सी0एच0ओ0 का प्रशिक्षण पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। अगर ए0एन0एम0/सी0एच0ओ0 का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुआ हो तो यह प्रशिक्षण 4जनवरी 2021 से पूर्व पूर्ण किया जाये। इस कार्य में पोषण पुनर्वास केन्द्र के स्टाफ का भी सहयोग लिया जा सकता है

4. रिपोर्टिंग–

इस गतिविधि के अंतर्गत सैम/मैम बच्चों के चिकित्सीय प्रबंधन सम्बंधित रिपोर्टिंग पूर्व में जारी दिशा निर्देशों (**संलग्न**) के अनुसार मासिक रिपोर्ट के साथ प्रेषित की जायेगी।

जनपद स्तर पर इस गतिविधि से सम्बंधित गतिविधियों जैसे की क्षमतावर्धन, सत्रों के लिए आवश्यक दवा एवं माइक्रोनूट्रिएंट की उपलब्धता, सत्रों का सफल संचालन, रिपोर्टिंग एवं कार्यक्रम की मासिक समीक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रतिरक्षण अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 होगी। उक्त गतिविधि के सफल संचालन के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन बैठक 4 जनवरी 2021 की आयोजित की जायेगी। इस बैठक में सम्बंधित जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिभाग करेंगे। इस ऑनलाइन मीटिंग का लिंक अलग से जनपदों के साथ साझा किया जाएगा।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों का वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र पर कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

Aparna. U.

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2020–21/ **दिनांक /01/2021**

प्रतिलिपि–निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, लखनऊ, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई (UP-TSU) लखनऊ उ0प्र0।
8. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
11. महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य, कम्युनिटी प्रोसेस एवं आर0आई0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मंडलीय एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
13. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
14. राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि पीरामल फाउंडेशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

(डा0 ऊषा गंगवार)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0,
विशाल कॉम्पलेक्स,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0 / CH/NRC / 18–4 / 2020–21 / **दिनांक 05/01/2021**

विषय–सैम / मैम एवं अति कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का प्रथम बुधवार पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र में वी0एच0एस0एन0डी0 पर स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन सम्बंधित दिशा निर्देश।

महोदय / महोदया,

आप अवगत हैं कि प्रदेश मे कुपोषण एक गंभीर समस्या है। प्रदेश में लगभग एक–तिहाई पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे कुपोषण का शिकार है। कुपोषण की गंभीर चिकित्सीय अवस्था–सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रीशन अथवा सैम (Severe Acute Malnutrition-SAM) से ग्रसित होने के कारण बच्चों मे बाल्यावस्था की बीमारियां एवं उनसे होने वाली मृत्यु का खतरा कई गुना अधिक बढ़ जाता है। सैम / मैम एवं अति कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच एवं प्रबंधन के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या– एस0पी0 एम0यू0 / CH / NRC / 18–4 / 2020–21 / 3307–75, दिनांक 21.09.2020 एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–प0क0 / आर0सी0एच0 / सैम–मैम / 2020–21 / 3763–93 दिनांक 21.12.2020 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देशों जारी किये जा चुके हैं। उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में मेडिकल आफीसर, ए0एन0एम0 एवं सी0एच0ओ0 का प्रशिक्षण पूर्ण करते हुए सैम / मैम एवं अतिकुपोषित बच्चों की जांच एवं प्रबंधन स्वास्थ्य केंद्र, हेल्थ वैलनेस सेंटर एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों (वी0एच0एस0एन0डी0) के माध्यम से जनपद में शुरू कर दिया गया है।

उक्त दिशा निर्देशों के क्रम में **Moderate Acute Malnutrition (MAM) and Severe Acute Malnutrition (SAM)** / अति कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबंधन को ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण दिवस के माध्यम से सुदृढ़ बनाने के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

1. प्रथम बुधवार को किये जाने वाले कार्य –

- जनवरी 2021 से **प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को स्वास्थ्य उप केन्द्र में वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र** के दौरान सैम / मैम / अतिकुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बंधित विशेष सेवायें पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपलब्ध करायी जायेंगी।
- इन सत्रों का आयोजन स्वास्थ्य विभाग एवं ICDS विभाग के समन्वय के साथ किया जाएगा।
- इस दिवस पर उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाली सभी आशायें एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री प्रतिभाग करेंगी जिससे कि उपकेन्द्र पर ही गुण्वत्ता परक सेवायें दी जा सकें।
- सत्र में सैम / मैम जांच करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले बच्चों की वज़न मशीन, इन्फैंटोमीटर (2 वर्ष से कम बच्चों की लम्बाई नापने के लिये) एवं स्टेडिओमीटर (2 वर्ष से बड़े बच्चों की उचाई नापने के लिये) का प्रबंधन उपकेन्द्र से सम्बंधित आंगनबाडी कार्यकत्री द्वारा किया जायेगा। यदि किसी दशा में इन्फैंटोमीटर एवं स्टेडियो मीटर उपलब्ध नहीं हैं तो उस दशा में दो इन्चटेप का भी प्रयोग किया जा सकता है परन्तु यह पूर्ण सही तरीका नहीं होगा।
- वर्ष 2021 के सत्रों का वार्षिक कैलेंडर के अनुसार प्रथम 12 माह के **प्रथम बुधवार की तिथियां निम्नवत्** हैं –

माह	दिनांक	माह	दिनांक
जनवरी	06.01.2021	जुलाई	07.07.2021
फरवरी	03.02.2021	अगस्त	04.08.2021
मार्च	03.03.2021	सितम्बर	01.09.2021
अप्रैल	07.04.2021	अक्टूबर	06.10.2021
मई	05.05.2021	नवंबर	03.11.2021
जून	02.06.2021	दिसंबर	01.12.2021

इन मासिक सत्रों के दौरान उपकेन्द्र पर निम्न पटल की स्थापना की जायेगी–

1. **पोषण स्कीनिंग एवं परामर्श पटल/कॉउंटर–**
   - यह पटल उपकेन्द्र पर ही उपलब्ध दूसरे कक्ष में अथवा बरामदे में उपकेन्द्र से सम्बंधित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, तथा आशाओं द्वारा संचालित किया जायेगा।
   - इस पटल पर लाभार्थी सर्व प्रथम आयेगा।
   - आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा पूर्व में चिन्हित अतिकुपोषित बच्चों, सैम व मैम बच्चों का पुनः वजन तथा ऊचाई अथवा लम्बाई तथा गर्भवती महिला का वज़न किया जायेगा। सूचना एम0सी0पी कार्ड में अंकित की जायेगी तथा जो भी बच्चे सैम अथवा मैम अथवा गंभीर अल्पवजन की श्रेणी में आते हैं, उनके बारें में ए0एन0एम को तुरन्त सूचना दी जायेगी। लाभार्थी को गृह आधारित खान–पान संबंधी देखभाल के बारे अवश्य से बताया जायेगा।
   - सूचना के साथ लाभार्थी को स्वास्थ्य जांच के लिये ए0एन0एम के पास भेजा जायेगा।
2. **स्वास्थ्य पटल/कॉउंटर–**
   - यह पटल उपकेन्द्र पर ही जहां से ए0एन0एम0 स्वास्थ्य जांच करती हैं वहीं पर होगा।
   - इस पटल पर नियमित स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच एवं प्रबंधन, गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण एवं परिवार नियोजन आदि सेवाएं प्रदान की जायेंगी।
   - स्वास्थ्य जांच के पश्चात ए0एन0एम0 चिकित्सीय व फालोअप संबंधी परामर्श अनिवार्य रूप से देगी।

कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य एवं पोषण जांच (पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार– संलग्न) –

- आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा अतिकुपोषित (सीवियर अंडरवेट/सैम/मैम) को ड्यूलिस्ट के अनुसार मोबीलाइज़ करेंगी।
- संदर्भित कुपोषित बच्चों की सैम/मैम की जांच, पोषण जांच एवं परामर्श, पटल, पर आंगनबाड़ी, कार्यकत्री द्वारा किया जायेगा। इन बच्चों का आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा वज़न एवं लम्बाई/ऊंचाई ली जायेगी एवं सैम/मैम तालिका अथवा मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड के दिए गए सैम/मैम चार्ट की मदद से सैम/मैम बच्चे की पहचान करेंगी एवं रजिस्टर अथवा मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड पर अंकित करेंगी।
- चिन्हित सैम बच्चों का सत्यापन ए0एन0एम0 द्वारा भी किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त सभी कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच एवं सैम बच्चों का चिकित्सीय प्रबंधन ए0एन0एम0 द्वारा प्रदान किया जायेगा।
  - ➢ **चिकित्सीय जटिलता वाले सैम बच्चों** को चिकित्सीय प्रबंधन के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्र अथवा निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संदर्भित किया जायेगा।
  - ➢ **बिना चिकित्सीय जटिलता वाले सैम बच्चों** को निम्न चिकित्सीय प्रोटोकॉल के अनुसार सत्र पर चिकित्सीय प्रबंधन प्रदान किया जायेगा।

बिना चिकित्सीय जटिलता वाले सैम बच्चों के चिकित्सीय प्रबंधन का प्रोटोकॉल				
औषधि का नाम	वजन/उम्र	खुराक		
		प्रत्येक खुराक की मात्रा –	दिन में कितनी बार	कितने दिनों के लिए
Amoxicillin DT(125 mg/tab) or Suspension/ syrup(125 mg/5ml suspension)	4 – 6.9 kg	1 tab or 5 ml Syrup	दिन में दो बार	5 दिनों तक
	7 – 9.9 kg	1.5 tablet or 7.5 ml Syrup	दिन में दो बार	5 दिनों तक
	10 -12.9 kg	2 tablets or 10 ml Syrup	दिन में दो बार	5 दिनों तक
	13 – 15.9 kg	2.5 tablets or 12.5 ml syrup	दिन में दो बार	5 दिनों तक
	16 – 18.9 kg	3 tablets or 15 ml Syrup	दिन में दो बार	5 दिनों तक
Albendazole (400 mg tab)	< 1 year	नहीं देनी		
	12-23 months	200mg (आधी टेबलेट) केवल एक बार		
	>2 years	400mg (एक टेबलेट) केवल एक बार		

बिना चिकित्सीय जटिलता वाले सैम बच्चों के चिकित्सीय प्रबंधन का प्रोटोकॉल		
औषधि का नाम	वजन / उम्र	खुराक
Folic Acid (5 mg tab)	6-59 months	5mg (एक टेबलेट) केवल एक बार
Vitamin-A	6-11 months	1 lac IU (1 ml) केवल एक बार
	1-5 years & weight > 8 kg	2 lac IU (2 ml) केवल एक बार
	1-5 years & weight < 8 kg	1 lac IU (1 ml) केवल एक बार
Iron Folic Acid syrup	6 months to 5 years	1 ml सप्ताह मे दो बार (1 ml contains 20 mg elemental iron and 100 mcg folic acid)
Pediatric multivitamin	As per age	Twice Recommended Dietary Allowance

***नोट–अगर पूर्व एक माह के अन्दर बच्चे को टीकाकरण अथवा बाल स्वास्थ्य पोषण माह के दौरान विटामिन– ए की खुराक दी गयी हो तो पुनः विटामिन–ए की खुराक देने की आवश्यकता नहीं है।**

- **अन्य समस्त कुपोषित बच्चे मुख्यतः –मैम व गंभीर अल्प वजन** को निम्न पोषण सम्बंधित सेवाएं प्रदान कराना सुनिश्चित किया जायेगा–
  - विटामिन– ए की खुराक।
  - कृमिनाशक।
  - एनीमिया की जांच एवं प्रबंधन एनीमिया मुक्त भारत के दिशा निर्देशानुसार।
  - स्तनपान अथवा अनुपूरक आहार सम्बंधित परामर्श।
- किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण वाले कुपोषित बच्चों को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सीय प्रबंधन के लिए संदर्भित किया जायेगा।

- समस्त सैम / मैम बच्चों को पूर्णतः पोषित एवं स्वस्थ्य होने तक **प्रत्येक माह इन सत्रों पर फॉलोअप** के लिए उपकेन्द्र / हेल्थ वेलनेस सेन्टर पर बुलाया जाएगा तथा इनका वजन व उचाई / लम्बाई लिया जायेगा।
- सत्र पर मौजूद सैम / कुपोषित बच्चों के माता–पिता एवं अभिभावकों को आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा पोषण सम्बंधित परामर्श प्रदान किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त सभी सैम एवं अतिकुपोषित बच्चों के पोषण प्रबंधन के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा मासिक पोषाहार वितरित किया जाएगा।
- कुपोषित बच्चों के परिवार को बताये गये व्यवहार के अनुसरण की जानकारी हेतु आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा कम से कम माह में एक संयुक्त गृह भ्रमण किया जायेगा। यह कार्य तीन माह तक अवश्य किया जायेगा।
- आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से साप्ताहिक फॉलोअप किया जाएगा जिसके दौरान बच्चे की वज़न वृद्धि की जांच एवं खान–पान सम्बंधित व्यव्यहार की जांच एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा।

नोट– अगर किसी कारणवश कोई सैम / अति कुपोषित बच्चा इस उपकेन्द्र आधारित मासिक सत्र पर प्रतिभाग नहीं कर पाता है तो उस बच्चे की जांच / प्रबंधन अथवा फॉलोअप सम्बंधित आंगनबाड़ी केन्द्र के मासिक वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र के दौरान किया जायेगा।

गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच एवं पोषण प्रबंधन –

- समस्त लक्षित गर्भवती महिलाओं को ड्यूलिस्ट के अनुसार आशा द्वारा केन्द्र पर मोबिलाइज किया जायेगा।
- सत्र पर उपलब्ध गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच ए0एन0एम0 द्वारा दिशानिर्देश के अनुसार की जायेगी। गर्भवती महिला मे पोषण स्तर की जांच एवं सुधार करने के लिए ए0एन0एम0 द्वारा सत्र के दौरान निम्न गतिविधियां की जायेंगी –
  - बी0पी0, यूरिन की जॉच, ब्लड शुगर एवं एच0आई0वी0 सिफलिस की जॉच।
  - एब्डोमिनल चेक अप (पेट की जांच)।
  - वजन एवं मासिक वज़न वृद्धि की मॉनिटरिंग)।
  - हीमोग्लोबिन की जांच एवं एनीमिया का प्रबंधन।

- 180 आयरनफोलिक एसिड टेबलेट का वितरण।
- 360 कैल्शियम टेबलेट का वितरण।
- स्वास्थ्य परामर्श।

नोट--इन सभी सेवाओं को मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड में अंकित किया जाए।

- आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा गर्भवती महिला के वज़न वृद्धि के अनुसार पोषण एवं खानपान सम्बंधित परामर्श दिया जाएगा।

सत्र के दौरान ए0एन0एम0, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री की भूमिका–

ए0एन0एम0 की भूमिका	आशा की भूमिका	आंगनबाड़ी कार्यकत्री की भूमिका
• स्वास्थ्य पटल/कॉउंटर की स्थापना एवं संचालन। • आंगनबाड़ी द्वारा चिन्हित सैम बच्चे का सत्यापन एवं प्रबंधन। • अन्य बीमार एवं कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच एवं आवश्यक प्रबंधन। • गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व जांच एवं आवश्यक प्रबंधन। • टीकाकरण एवं अन्य परिवार नियोजन सम्बंधित सेवायें • सत्र के दौरान प्रबंधन प्राप्त सैम बच्चों की रिपोर्टिंग।	• स्वास्थ्य पटल/कॉउंटर के संचालन व परामर्श में सहयोग करना। • कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं टीकाकरण के लिए लक्षित बच्चों की ड्यूलिस्ट बना सत्र पर मोबिलाइज करना।	• पोषण जांच एवं परामर्श पटल/कॉउंटर का संचालन। • कुपोषित बच्चों को सत्र पर मोबिलाइज करना। • कुपोषित बच्चों का वज़न, लम्बाई/ऊंचाई लेते हुये सैम/ मैम की पहचान करना एवं मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड पर अंकित करना • कुपोषित बच्चों के अभिभावकों की पोषण सम्बंधित परामर्श प्रदान करना।

आई0सी0डी0एस0 विभाग एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री की भूमिका –

- स्वास्थ्य उपकेंद्र से सम्बंधित सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्री अपने कार्यक्षेत्र में चिन्हित कुपोषित एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को सूचीबद्ध कर माह के प्रथम बुधवार को स्वास्थ्य उपकेंद्र आधारित वी0एच0एस0 एन0डी0 सत्र पर प्राथमिक चिकित्सीय जांच एवं प्रबंधन के लिए मोबिलाइज करेंगी।
- सत्र के लिए लक्षित कुपोषित बच्चे जो की स्वास्थ्य उपकेंद्र आधारित वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र पर किसी कारणवश प्रतिभाग नहीं कर पाये हो, उन बच्चों को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा उनके केंद्र से सम्बंधित मासिक वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र पर मोबिलाइज कर चिकित्सीय प्रबंधन एवं फॉलो अप कराया जायेगा।
- पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का वज़न एवं लम्बाई/ऊंचाई लेते हुये कुपोषित एवं गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान की मुख्य भूमिका आंगनबाड़ी कार्यकत्री की रहेगी।
- चिकित्सीय प्रबंधन प्राप्त कर चुके सभी सैम एवं अन्य गंभीर अल्पवजन के बच्चों का पोषण प्रबंधन आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा उनके पूर्णतः पोषित श्रेणी में आने तक किया जाएगा।
- **आंगनबाड़ी कार्यकत्री की भूमिका** - आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा इन सभी बच्चों का साप्ताहिक फॉलो अप आंगनबाड़ी केंद्र अथवा गृह भ्रमण के माध्यम से किया जाएगा। सभी कुपोषित बच्चों के पोषण प्रबंधन के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पोषाहार का वितरण, पोषाहार एवं अन्य स्थानीय खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हुये पौष्टिक खाद्य विधियों का प्रदर्शन एवं खान–पान सम्बंधित परामर्श प्रदान किया जाएगा।
- आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां "पोषण स्क्रीनिंग एवं परामर्श काउंटर" की स्थापना एवं संचालन में सहयोग करेंगी।
- "पोषण स्क्रीनिंग एवं परामर्श काउंटर" की सभी गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल्स के अनुसार संचालित की जाएँ।

2. संचारण नीति

- ब्लॉक स्तर पर सभी ए0एन0एम का संवेदीकरण।

- उपकेन्द्र पर सभी ए0एन0एम द्वारा ट्रिपल–ए की बैठक आयोजित करते हुये उपकेन्द्र के अन्तर्गत आने वाली आशाओं व आंगनबाडी कार्यकत्रियों को कुपोषित बच्चों व गर्भवती महिलाओं को सत्र तक मोबिलाइज करने हेतु प्रेरित करना।
- इन सत्रों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक माह सत्र के एक दिन पहले व्हाट्सएप एवं अन्य दूर संचार माध्यम से ए0एन0एम0 एवं आशाओं को सूचित किया जाए।

3. क्षमतावर्धन –

- जनपदों द्वारा सैम/मैम के चिकित्सीय प्रबंधन सम्बंधित ए0एन0एम0/सी0एच0ओ0 का प्रशिक्षण पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। अगर ए0एन0एम0/सी0एच0ओ0 का प्रशिक्षण पूर्ण नहीं हुआ हो तो यह प्रशिक्षण 4जनवरी 2021 से पूर्व पूर्ण किया जाये। इस कार्य में पोषण पुनर्वास केन्द्र के स्टाफ का भी सहयोग लिया जा सकता है

4. रिपोर्टिंग–

इस गतिविधि के अंतर्गत सैम/मैम बच्चों के चिकित्सीय प्रबंधन सम्बंधित रिपोर्टिंग पूर्व में जारी दिशा निर्देशों (**संलग्न**) के अनुसार मासिक रिपोर्ट के साथ प्रेषित की जायेगी।

जनपद स्तर पर इस गतिविधि से सम्बंधित गतिविधियों जैसे की क्षमतावर्धन, सत्रों के लिए आवश्यक दवा एवं माइक्रोनूट्रिएंट की उपलब्धता, सत्रों का सफल संचालन, रिपोर्टिंग एवं कार्यक्रम की मासिक समीक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रतिरक्षण अधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0 होगी। उक्त गतिविधि के सफल संचालन के लिए राज्य स्तरीय ऑनलाइन बैठक 4 जनवरी 2021 की आयोजित की जायेगी। इस बैठक में सम्बंधित जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिभाग करेंगे। इस ऑनलाइन मीटिंग का लिंक अलग से जनपदों के साथ साझा किया जाएगा।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों का वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र पर कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या–एस0पी0एम0यू0/CH/NRC/18–4/2020–21/6071-14 **दिनांक /01/2021**

प्रतिलिपि–निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, लखनऊ, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई (UP-TSU) लखनऊ उ0प्र0।
8. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय, अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
11. महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य, कम्युनिटी प्रोसेस एवं आर0आई0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त मंडलीय एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
13. न्यूट्रीशन स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, विशाल खन्ड, गोमती नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश।
14. राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि पीरामल फाउंडेशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

(डा0 ऊषा गंगवार)
महाप्रबन्धक, बाल स्वास्थ्य